कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / साप्र / बी–2 / विविध / 4418 / 68 / दिनांक: 01.06.2020

–:: आदेश ::–

राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग के पत्रांक:प.33(2)गृह–9 / 2019 जयपुर दिनांक 31.05.2020 द्वारा समस्त राजस्थान में लॉकडाउन दिनांक 01 से 30 जून, 2020 तक बढा दिया गया है, जो कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में पर्याप्त ऐहतियाती और सुरक्षा उपायों के माध्यम से सामान्य स्थिति की सावधानीपूर्वक बहाली के सिद्धान्तों पर आधारित है। अतः शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों / विद्यालयों / संस्थानों में उपस्थिति के संबंध में निम्नलिखित नवीन निर्देश प्रदान किये जाते है:–

1. राजकीय विद्यालयों में समस्त नॉन वेकेशन स्टाफ कार्यालय कार्य हेतु पूर्ण क्षमता के साथ उपस्थित रहेंगे एवं वेकेशन स्टाफ शिविरा पंचांग के अनुसार ग्रीष्मावकाश उपरान्त विद्यालय में उपस्थित होंगे।
2. गैर सरकारी विद्यालय केवल कार्यालय कार्य हेतु खुल सकेंगे।
3. अन्य संस्थान (IASE, DIET, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय इत्यादि) में शिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां बंद रहेगी। समस्त नॉन वेकेशन स्टाफ कार्यालय कार्यों हेतु उपस्थित होंगे।
4. समस्त APO / निलम्बित कार्मिक भी मुख्यालय कार्यालय में उपस्थित होंगे। ब्लॉक, जिला तथा संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल एवं निदेशालय परिसर स्थित समस्त कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुले रहेंगे।

समस्त कार्यालयों / संस्थानों / विद्यालयों में गृह विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सामाजिक दूरी संधारण एवं स्वच्छता संबंधी निर्देशों की पालना करेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक एवं
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / साप्र / बी–2 / विविध / 4418 / 68 / दिनांक: 01.06.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक ।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ।
12. प्रधानाचार्य, राज.शा0शि0 महाविद्यालय, जोधपुर / सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर
13. समस्त पीईईओ / संस्था प्रधान, राउमावि / रामावि / राबाउमावि / राबामावि।
14. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
15. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
16. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर